

परिशिष्ट – ए

अति प्रदूषण एवं खतरनाक श्रेणी के उद्योग

(केवल चिन्हित प्रदूषण में ही स्वीकार्य)

1. **अकार्बनिक रसायन उद्योग –**
 - खनिज अम्ल, क्षार निर्माण उद्योग।
 - अम्ल प्रतिक्रिया से निर्मित खनिज लवण।
 - कार्बनडाय सल्फाईड, अल्ट्रा मेरिन ब्लू क्लोरिन, हाइड्रोजन, अमोनिया गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर निर्माण।
2. **कार्बनिक रसायन उद्योग –**
 - डाई व डाई स्टाफ इंटरमिडिएट निर्माण
 - सिंथेटिक, प्लास्टिक, जैसे – पोलिथिन, पी. व्ही. सी. रेजिन, नॉयलान, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक डिटरजेंट।
 - कीट नाशक, फफूंद नाशक एवं खरपतवार नाशक।
 - कोलतार डिस्टिलेशन प्रक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पाद।
 - आर्गनिक साल्वेंट्स, क्लोरिनेटेड मिनरल्स मिथेनॉल, एल्डीहाईड, पायरिडिन, आयडोफार्म, क्लोरोफार्म, बिटा नेप्थाल एवं मिथेलेटेड स्प्रिट।
 - कम्प्रेसड एवं लिक्वीफाईड गैसेस।
3. **पेट्रोलियम उत्पाद –**
 - कच्चे तेल की रिफायनिंग, प्रोसेसिंग एवं क्रकिंग, पेट्रोलियम जैली, पेट्रोलियम ईथर, नेफथा क्रैकिंग।
 - कार्बन ब्लेक व अन्य निर्माण।
 - पेट्रोलियम कोक।
 - लुब्रिकेटिंग एवं फ्यूल आईल्स।

- ईल्यूमिनेटिंग आईल्स आदि।

4. धातु कर्म उद्योग -

- उद्योग जिनमें सिलटरिंग, स्मेलटिंग, ब्लास्ट फर्नेस, रिक्वॉस्टिंग ऑफ ओर सल्फाइड, ऑक्साइड या मिश्रण जैसे कार्य किये जाये।
- रेडियोएक्टिव तत्व निर्माण।
- पेपर, पेपर पल्प, बोर्ड निर्माण, न्यूज प्रिंट निर्माण।
- अल्कोहल डिस्टिलरीज।
- शक्कर कारखाना।
- जहरीले पदार्थ जैसे - साइनाइड्स, आर्सेनिक यौगिक, बेरियम यौगिक, पायरोगेलिक एसिड।
- इलेक्ट्रो थर्मल इण्डस्ट्रीज जैसे - कैल्शियम कार्बाइड, फास्फोरस, एल्यूमिनियम डस्ट, पेस्ट, कॉपर जिंक एलाय आदि।
- थर्मल पावर इण्डस्ट्रीज।
- शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य प्रकार के उद्योग।

परिशिष्ट – बी

औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची

1. गौवंश मांस से संबंधित कोई भी गतिविधि।
2. **पशुवध (कसाईखाना)।**
3. शहरी अपशिष्ट/मृत पशु एवं अपशिष्ट एकत्रीकरण एवं संग्रहण।
4. कबाडियों द्वारा काँच, पोलिथीन, प्लास्टिक, पी. व्ही. सी., नॉयलान, रबर, लोहा, लकड़ी जैसी वस्तुओं का संग्रहण एवं ग्रेडिंग।
5. रेत संग्रहण एवं ग्रेडिंग।
6. ईट भट्टा एवं चूना भट्टा।
7. खुली सैंड ब्लास्टिंग।
8. ऑटो मोबाईल स्टॉक यार्ड।
9. शहर एवं मृत पशु अपशिष्टों का प्रसंस्करण एवं उससे खाद बनाना आदि।
10. विस्फोटक एवं फायर वर्क्स निर्माण व संग्रहण।
11. चारकोल निर्माण।
12. स्टोन क्रेशर।
13. शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य गतिविधियाँ।